**57. निष्पादक के पागल न होने के दौरान निष्पादित की गयी विल के रद्दकरण के लिए वाद**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

**ऊपर नामित वादी निम्नलिखित में सादर निवेदन करता है--**

1. ...................... वादी का पिता जिले ...................... के ...................... गांव ..................................... में ...................... में स्थित एक पक्का भवन सं. ........................................ तथा ................ ...................... बीघा भूमि धरी खाता सं. .................... ............... पर स्वामित्व रखता था।
2. प्रतिवादी ... ...................... का भतीजा था और उसके घर में तारीख ...................... को हुई उसकी मृत्यु के पूर्व अंतिम दो महीने से पेंचिस तथा ज्वर से बुरी तरह पीड़ित चल रहा था। वह उचित संवेदनशीलता नहीं रखता था और विल द्वारा अपनी सम्पत्तियों के न्यागमन के बारे में कोई उचित विनिश्चय करने में असमर्थ था। तारीख .. .............................. को उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व प्रतिवादी ............... .................... ने उस समय कपट द्वारा उसके पक्ष में उपरोक्त उसकी सम्पत्तियों का मृतक से विल को निष्पादित करवाया जब मृतक उस विलेख की प्रकृति को समझने में असमर्थ था। जब उसने निष्पादन किया और उससे सम्बन्धित किसी मूल निर्णय को विरचित नहीं कर सकता था।
3. कथित...................... ...................... ने किसी विल का कभी नहीं निष्पादन किया। लेकिन वादी को तारीख ......................................... को अभिकथित विल के तथ्य की जानकारी हुई। जब प्रतिवादी ने उपर्युक्त भूमिधरी खाते में राजस्व अभिलेखों में उसके नाम का दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन किया।
4. यह कि विल का निष्पादन .................................. द्वारा कभी भी नहीं किया गया और यदि बिल्कुल निष्पादन किया जाय तो इसका निष्पादन उसके गंभीर पागलपन में किया गया जब वह मूल निर्णय नहीं कर सकता था और न ही उस बात की प्रकृति समझ सकता था जो वह कर रहा था और ऐसे रूप में शून्य एवं अप्रवर्तनीय है।
5. वाद हेतुक तारीख ........... ................... को इस न्यायालय की अधिकारिता के अन्दर पैदा हुआ जब वादी को शून्य विल के बारे में जानकारी हुई।
6. वाद का मूल्यांकन, उन सम्पत्तियों का मूल्यांकन जो कथित विल की विषय वस्तु है ....... ............ रुपये पर किया जाता है और न्यायालय फीस के प्रयोजनार्थ ................ रुपये और न्यायालय फीस का संदाय दावा कृत अनुतोषों की प्रकृति के अनुसार किया जाता है।

**दावाकृत अनुतोष**

वादी दावा करता है कि उपर्युक्त विल को शून्य न्याय निर्णीत कर दिया जाय और रद्द कर दिया जाय, या वैकल्पिक तौर पर यह घोषित किया जा सकेगा कि कथित विल का निष्पादन .................................... उपर्युक्त द्वारा कभी नहीं किया गया।

वादी

जरिये अधिवक्ता

**सत्यापन**

मैं ऊपर नामित वादी, एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ, कि वादपत्र के पैरा ............. ...... ...... ........... .... .. लगायत .................................. की अन्तर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और ................................... पैरा के वे सभी तथा उसका.......... उस विधिक सलाह पर आधारित है। जिसे मैं सत्य होने का विश्वास करता हूँ।

मैं इस दिनांक ....... को सत्यापित किया गया।

वादी